Sagar

11

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 4190–दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 26–10–12 पारित नायब तहसीलदार, राजनगर प्रभारी क्षेत्र ललपुर, जिला छतरपुर प्रकरण कमांक 04/अ–12/2011–12.

1– मारेलाल पिता दुर्जना प्रजापति
2 - मुविन्दी पिता दुर्जना प्रजापति
दोनों निवासी ग्राम बिला, तह0 राजनगर,
जिला छतरपुर, म0प्र0

––– आवेदकगण

विरूध्द

कलुवा तनय पंचा काछी,
निवासी ग्राम बिला, तह0 राजनगर,
जिला छतरपुर, म0प्र0

–– अनावेदक

श्री सुरेश रजक, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अभिभाषक– अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 29.5. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार, राजनगर प्रभारी क्षेत्र ललपुर, जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक

04/अ–12/2011–12 पारित आदेश दिनांक 26–10–12 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक कलुवा ने अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नं0 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 806, 828 एवं 829 कुल रकबा 8.539 हे. के सीमांकन हेतु आवेदनपत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक व्दारा 26–02–12 को सीमांकन कर प्रतिवेदन नक्शा पंचनामा एवं फील्ड बुक के साथ तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया। तहसील न्यायालय में दिनांक 29–2–12 को आवेदक की ओर से इस आशय का आपत्ति प्रस्तुत की गयी कि ख0नं0 805 के घटांक का सीमांकन करते समय राजस्व निरीक्षक व्दारा आपत्तिकर्त्ता के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि की नाप करा ली है, जबकि आपत्तिकर्त्ता की भूमि ख0नं0 817, 818 एवं 824/2/3 के बीच शासकीय नाला है व आपत्तिकर्त्ता व्दारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का सीमांकन कराया गया जो दिनांक 13–11–2000 को स्वीकृत किया गया है तथा सीमा–चिन्ह बनाये गये थे तब से आपत्तिकर्त्ता अपनी भूमि पर काबिज है। इस आपत्ति का जबाव अनावेदक कलुवा व्दारा प्रस्तुत किया गया जिसमें आपत्तिकर्त्ता परिवेदित पक्षकार नहीं होने तथा ना ही आपत्तिकर्त्ता की भूमि की नाप की जाना दर्शाया गया। आपत्तिकर्त्ता बारेलाल व्दारा आपत्ति के संबंध में लिखित एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देने का अनुरोध अपने पत्र दिनांक 16–7–12 व्दारा किया गया। उभय पक्ष को सुनने के पश्चात नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 26–10–12 में यह निष्कर्ष निकाला है कि सीमांकन सरहदी काश्तकारों को सूचना देकर किया गया है। आपत्तिकर्त्ता बारेलाल की भूमि की कोई भी नाप नहीं की गयी है, ना ही आपत्तिकर्त्ता का नाम अवैध कब्जा में लेख है। अतः नायब तहसीलदार व्दारा आपत्ति निरस्त कर सीमांकन स्वीकार किया गया।

इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि राजस्व निरीक्षक ने मौके पर स्थित नाली को पारकर खसरा नं. 708 की भूमि मानते हुए आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर सीमाचिन्ह लगा दिये हैं। सीमांकन के पूर्व आवेदकगण को सूचना नहीं दी गयी और आवेदकगण के पीठ–पीछे सीमांकन की कार्यवाही की गयी है। उनका यह भी तर्क है कि अनावेदक व्दारा आवेदकगण के विरूध्द कब्जा वापिसी हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो तहसील न्यायालय ने प्रकरण क0 01/अ–70/12–13 दर्ज कर आवेदकगण को सूचनापत्र जारी किया गया है, जबकि सीमांकन में आवेदकगण का अनावेदक की भूमि पर अवैध कब्जे का कोई उल्लेख नहीं है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक के अभिभाषक ने लिखित तर्कों में मुख्य मुद्दा यह प्रस्तुत किया है कि राजस्व निरीक्षक व्दारा अनावेदक के भूमिस्वामी स्वत्व की आराजी का सीमांकन किया गया है। सीमांकन के दौरान खसरा नं0 805/2, 805/3, 805/4 कुल रकबा 4.415 हे. पर दौलता हरिचरण तनय जुगला कुम्हार का अवैध कब्जा पाया गया। सीमांकन पूर्णतः सरहदी काश्तकारों को सूचना देकर उनकी उपस्थिति में किया गया है। आपत्तिकर्त्ता/आवेदकगण कतई परिवेदित पक्षकार नहीं है और ना ही आपत्तिकर्त्ता की भूमि का नाप की गयी है। आपत्तिकर्त्ता/आवेदकगण की आपत्ति पर वैधानिक प्रकिया का पालन कर नायब तहसीलदार व्दारा आदेश पारित किया गया है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ तहसील न्यायालय में प्रस्तुत आवेदनपत्र में कलुवा व्दारा अनावेदक क0–4 पर बारेलाल पिता दुर्जना का नाम अंकित किया है। तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 18 पर उपलब्ध सूचनापत्र की फोटो प्रति में कमांक 1 पर दुर्जना पिता भैरमा कुम्हार एवं अन्य 12 नाम अंकित है जिसमें दिनांक 6–6–11 को प्रातः 10 बजे कलुवा की प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 7 कुल रकबा 8.539 हे. का सीमांकन किये जाने का उल्लेख है, किन्तु इस सूचनापत्र पर किसी भी कृषक के सूचना प्राप्ति के हस्ताक्षर नहीं है। तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 31 पर उपलब्ध सूचनापत्र में ख0नं0 805/2, 805/3, 805/5, 828 एवं 829 का सीमांकन दिनांक 26–2–12 को किये जाने का उल्लेख है, किन्तु इसमें आवेदकगण या उनके पिता का नाम नहीं है तथा सूचनापत्र की पुष्ट पर गोबिन्ददास, लल्लू, राजेश प्रजापति एवं नन्नू कुशवाह के हस्ताक्षर है। इससे स्पष्ट है कि सीमांकन आवेदनपत्र में कलुवा व्दारा आवेदक बारेलाल का नाम अंकित किये जाने पर भी, सीमांकन के पूर्व आवेदक बारेलाल को सूचना नहीं दी गयी। पंचनामें में भी आवेदकगण की उपस्थिति या उनके व्दारा हस्ताक्षर नहीं करने का कोई उल्लेख नहीं है। सीमांकन प्रतिवेदन में राजस्व निरीक्षक व्दारा ख0नं0 805/2, 805/3, 805/4 कुल रकबा 5.063 हे. में से रकबा 4.415 हे. पर दौलता, हरिचरन तनय जुगला कुम्हार तथा खसरा नं0 805/5 रकबा 0.648 हे. पर पुण्यप्रताप गोकलसिंह तनय उत्तरसिंह का अवैध कब्जा होना अंकित किया है, किन्तु नायब तहसीलदार के प्रकरण कमांक 01/अ–70/12–13 के अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदक कलुवा व्दारा आवेदक क0–1 बारेलाल तथा आवेदक क0–2 गुबंदी तनय दुर्जना के विरूध्द भी तहसील न्यायालय के सीमांकन प्रकरण क0 4/अ–12/11–12 में पारित आदेश दिनांक 26–10–12 के आधार पर कब्जा वापसी हेतु धारा 250 का वाद प्रस्तुत किया गया है, इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि आवेदकगण सीमांकन में परिवेदित पक्षकार नहीं है। आवेदकगण ने तहसील न्यायालय में प्रस्तुत आपत्ति में ख0नं0 805 के बटांक

का सीमांकन करते समय राजस्व निरीक्षक व्दारा आपत्तिकर्त्ता के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि की नापति कराने तथा आपत्तिकर्त्ता की भूमि ख0नं0 817, 818 एवं 824/2/3 के बीच शासकीय नाला होना दर्शाया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख पृष्ठ 46 पर उपलब्ध नक्शाशीट के अवलोकन से आवेदकगण के कथन की प्रथमदृष्टया पुष्टि होती है क्योंकि नक्शे में खसरा नं0 805,806 तथा खसरा नं0 817, 826, 816 के बीच में डबल लाईन अंकित है, किन्तु नायब तहसीलदार व्दारा आदेश पारित समय इस पर विचार कर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। आवेदकगण व्दारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का सीमांकन दिनांक 13–11–2000 को कराया जाने के संबंध में तहसील न्यायालय में दस्तावेज भी प्रस्तुत किये गये हैं जिन पर नायब तहसीलदार व्दारा आदेश पारित करते समय कोई विचार नहीं किया।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 26–10–12 निरस्त किया जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभय पक्ष एवं अन्य सभी सरहदी काश्तकारों को विधिवत सूचनापत्र तामील कर उनकी उपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही नियमानुसार करने के पश्चात प्रकरण का निराकरण विधि अनुसार करें। यदि प्रश्नाधीन भूमि सरहदी ग्राम बिला की सीमा से लगी है और उसका नक्शे से मिलान नहीं होता हों तो सर्वप्रथम नक्शा सुधार की कार्यवाही की जाय।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0